15. माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—7969/2017 मेसर्स शाश्वत इन्फ्रास्टेट प्रा0लि0 बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्श में पारित अन्तरित आदेश दिनांक 27.02.2017 के कम में उपविभाजन शुल्क की धनराशि वर्तमान में जमा नही करायी गयी है। यदि उक्त रिट याचिका में अन्तिम निस्तारण के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपविभाजन शुल्क की मांग को अपास्त नही किया गया तो उक्त धनराशि नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
16. किन्ही कारणोवश माननीय न्यायालय द्वारा सन्दर्भित याचिका में प्रोजेक्ट पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने/रेजीडेन्ट सोसायटी के गठन तक अन्तिम निर्णय नही हो पाता है तो आवेदक/विकासकर्ता को उपविभाजन शुल्क की धनराशि जमा करनी होगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होने पाये।
17. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान मे कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
18. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू—स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू—स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
19. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
20. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
21. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
22. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
23. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
24. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
25. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

<u>संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।</u>

(डा0 गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव